This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 30 अगस्त, 2025 / 08 भाद्रपद, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 21st Auguat, 2025

No. HHC/Estt.3(590)/2007.—19 days earned leave on and *w.e.f.* 25-08-2025 and 12-09-2025 with permission to prefix Sunday falling on 24-08-2025 and suffix second Saturday

and Sunday falling on 13th and 14th September, 2025 is hereby sanctionedin favour of Smt. Ramninder Kaur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Ramninder Kaur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Ramninder Kaur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 21st Auguat, 2025

No. HHC/Estt.3(876)/2015.—12 days earned leave on and *w.e.f.* 01-09-2025 to 12-09-2025 with permission to prefixSunday falling from 31-08-2025 and suffix second Saturday and Sundayfalling on 13th & 14th September, 2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Het Ram, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Het Ram is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Het Ram would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar of this Registry but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 20th Auguat, 2025

No. HHC/GAZ/14-300/08-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days commuted leave for 25-07-2025 and 26-07-2025 with permission to suffix Sunday falling on 27-07-2025 in favour of Dr. Mohit Bansal, Additional District and Session Judge, Ghumarwin.

Certified that Dr. Mohit Bansal had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Mohit Bansal would have continued to hold the post of Additional District and Session Judge, Ghumarwin but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th August, 2025

No. HHC/GAZ/14-319/2010-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 06 days commuted leave *w.e.f.* 10-07-2025 to 15-07-2025, in favour of Ms. Akshi Sharma, Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Bilaspur.

Certified that Ms. Akshi Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Akshi Sharma would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Bilaspur but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th August, 2025

No. HHC/Admn.6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Civil Judge-*cum*-JMFC, Dalhousie as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMFC, Tissa and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Sh. Sumit Thakur, Civil Judge-*cum*-JMFC, Tissa *w.e.f.* 18-08-2025 to 23-08-2025 with permission to prefix Gazetted

holidays and Sunday falling on 16-08-2025 and 17-08-2025 and to suffix Sunday falling on 24-08-2025 or till he returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla , the 14th August, 2025

No. HHC/GAZ/14-326/2012-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of commuted leave for 01 day each for 06-11-2024 to 09-12-2024 and 06 days *w.e.f.* 21-05-2025 to 26-05-2025 in favour of Ms. Monika Sombal, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Ghumarwin.

Certified that Ms. Monika Sombal had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Monika Sombal would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Ghumarwin but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13th August, 2025

No. HHC/Estt.3(578)/2006-I.—03 days commuted leave *w.e.f.* 04-08-2025 to 06-08-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto,* in favour of Smt. Seema Sharma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Seema Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Seema Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 29 अगस्त, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–129 / 2025.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 17.

हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना।
2. परिभाषाएं।
3. लोक उपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन का प्रतिषेध।
4. लोक उपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन करने के लिए दण्ड।
5. क्षति या प्रतिकर के लिए दावे का न होना।
6. अधिकार अभिलेख तैयार करना।
7. अधिकारिता का वर्जन।
8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
10. नियम बनाने की शक्ति।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 17.

हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में लोक उपयोगिताओं में विघ्न डालने या परिवर्तन करने तथा लोक अधिकारों तथा उसके उपयोग के अपवर्जन हेतु ऐसी भूमि पर दावा करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रतिषेध करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध अधिनियम, 2025 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) यह उन लोक उपयोगिताओं के संबंध में लागू होगा जो नियत दिवस को दस वर्ष या उससे अधिक समय से अस्तित्व में हों।

2. **परिभाषाएं.**––इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''कलक्टर'' से राजस्व जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कार्यों के निर्वहन हेतु विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी है;

(ख) ''आयुक्त'' से राजस्व मण्डल का मण्डल आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयुक्त के कार्य के निर्वहन हेतु विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी है;

(ग) ''वित्त आयुक्त'' से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधिन वित्त आयुक्त के कार्यों के निर्वहन हेतु विशेष रूप से पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी भी है;

(घ) ''सरकार या राज्य सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(च) ''विहित'' से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित अभिप्रेत है; और

(छ) ''लोक उपयोगिता'' में सड़क, रास्ता, नहर, नाली, तटबंध, जल / सिंचाई चैनल, जन स्वास्थ्य संकर्म, लोक संस्थान, भवन तथा सरकार द्वारा निर्मित कोई अन्य सुविधा या संरचना सम्मिलित है जो चाहे राज्य सरकार द्वारा प्रभारों के भुगतान पर या अन्यथा से जनसाधारण द्वारा या जनसाधारण के लाभ के लिए उपयोग की जाती है या की गई है जो किसी वैयक्तिक, कम्पनी, सोसायटी, भागीदारी फर्म, न्यास आदि की किसी भूमि पर विद्यमान हो; और

3. **लोक उपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन का प्रतिषेध.**––(1) किसी विधि, लिखित, प्रथा, रिवाज, डिक्री या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में किसी भी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वैयक्तिक, कम्पनी, सोसायटी, भागीदारी फर्म, न्यास आदि सहित कोई भी व्यक्ति लोकहित या उपयोग, जो जनसाधारण लाभ के लिए लोक उपयोग में या अस्तित्व में हैं या थे, के अहित के लिए किसी निजी व्यक्ति, वैयक्तिक कम्पनी, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, न्यास इत्यादि की किसी भी भूमि पर किसी लोक उपयोगिता में विघ्न नहीं डालेगा, परिवर्तन नहीं करेगा या नष्ट नहीं करेगा और न ही ऐसा कोई व्यक्ति, लोकाधिकार तथा लाभ के अपवर्जन हेतु ऐसी लोक उपयोगिता का दावा करने का हकदार होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक उपयोगिता में विघ्न डालता है, परिवर्तन करता है, नष्ट करता है या बाधा डालता है तो कलक्टर या तो स्वप्ररेणा से या लोक उपयोगिता में ऐसी दखलअंदाजी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसी लोक उपयोगिता को उसकी मूल

अवस्था में जोर्णोद्धार के निर्देश दे सकेगा तथा ऐसे जोर्णोद्धार के सम्बन्ध में उपगत लागत की वसूली भू–राजस्व के बकायों के रूप में ऐसे व्यक्ति से कर सकेगा।

(3) उप–धारा (2) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपील दायर कर सकेगा।

(4) उप–धारा (3) के अधीन आयुक्त के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से, तीस दिन के भीतर वित्तायुक्त को पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकेगा।

(5) वित्तायुक्त का आदेश अन्तिम होगा।

4. लोक उपयोगिता में विघ्न डालने या परिवर्तन करने के लिए दण्ड.––जो कोई भी धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह छः मास तक की अवधि के करावास या जुर्माने, जो दो हजार रुपये से कम तथा दस हजार रुपये से अधिक नहीं होगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

5. क्षति या प्रतिकर के लिए दावे का न होना.––कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रतिषेधों या निर्बन्धनों के बदले में किसी क्षति या प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

6. अधिकार अभिलेख तैयार करना.––कलक्टर, समुचित खण्ड में अधिकार अभिलेख में इस प्रभाव के लोक उपयोगिता टिप्पण देते हुए ऐसी लोक उपयोगिता तथा लोक अधिकार अभिलेख दर्ज करवाएगा या तैयार करवाएगा।

7. अधिकारिता का वर्जन.––किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले मामलों से सम्बन्धित किसी वाद को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.––(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश नियत दिवस से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

9. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.––इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

10. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य–शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के सत्रावसान के पूर्व जिसमें यह रखा गया था, विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या बातिलीकरण होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सार्वजनिक उपयोगिताएं जैसे सड़कें, रास्ते, नालियां, तटबंध, सिंचाई नहरें, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य, सार्वजनिक संस्थान और भवन आदि, बहुतायत मामलों में निजी व्यक्तियों, संस्थाओं के मूलतः स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित किए गए हैं। ऐसे सार्वजनिक कार्य प्रायः मौखिक करार या मौखिक दान या दीर्घकालीन सार्वजनिक उपयोग के माध्यम से और उनकी देख–रेख और विकास में स्थायी लोक निधि निवेशित की गई है। भूमि के मालिकों के उपयोग और आचरण के कारण इन भूमियों ने सार्वजनिक उपयोगिता का स्वरूप प्राप्त कर लिया है, जिससे जनसाधारण के हित में अधिकार और दावे उत्पन्न हो गए हैं। भूमि मूल्यों में वृद्धि के साथ ही तथापि कतिपय व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा इन भूमियों पर विशेष अधिकार जताने और उन्हें पुनः प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। और लोक स्त्रोतों में हानि भी हो रही है, चूंकि कुछ मामलों में ऐसे कुछ उपयोगिताओं के स्वामियों का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 से पूर्व की हैं। इससे पथ–सम्पर्क में बाधा, जलापूर्ति और अन्य आवश्यक लोक सेवाओं सहित सरकार के लिए गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। इसलिए कि ऐसी भूमि को सार्वजनिक उपयोगिता भूमि के रूप में सुरक्षित करने और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु एक विधि अधिनियमित करना व्यापक जनहित में यह आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीख 2025

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 10 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। प्रस्तावित शक्तियों का प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश राज्य में लोक उपयोगिताओं में विघ्न डालने या परिवर्तन करने तथा लोक अधिकारों तथा उसके उपयोग के अपवर्जन हेतु ऐसी भूमि पर दावा करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रतिषेध करने के लिए **विधेयक**।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मन्त्री।

———————

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः....., 2025

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 17 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF CHANGE OF PUBLIC UTILITIES BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title, commencement and application.
2. Definitions.
3. Prohibition of disturbing or changing public utility.
4. Punishment for disturbing or changing public utility.
5. No claim for damages or compensation.
6. Preparation of record of rights.
7. Bar of jurisdiction.
8. Power to remove difficulties.
9. Protection of action taken in good faith.
10. Power to make rules.

———————

Bill No. 17 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF CHANGE OF PUBLIC UTILITIES BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to prohibit disturbing or changing of public utilities and claiming such land to the exclusion of public rights and use in the State of Himachal Pradesh and for matter connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, commencement and application.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Prohibition of Change of Public Utilities Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

(3) It shall be applicable in respect of public utilities which are in existence for ten years or more as on the appointed day.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Collector" means the Collector of a revenue district and includes the Deputy Commissioner or any other officer specially designated by notification, by the State Government to perform the functions of a Collector under this Act;

(b) "Commissioner" means the Divisional Commissioner of a revenue division and includes any other officer specially designated by notification, by the State Government to perform the functions of a Commissioner under this Act;

(c) "Financial Commissioner" means an officer appointed by the State Government and includes any other officer specially designated by notification, by the State Government to perform the functions of a Financial Commissioner under this Act;

(d) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(e) "notificaion" mean notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(f) "'prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and

(g) "public utility" includes a road, path, canal, drain, embankment, water or irrigation channel, public health work, public institution, building or any other facility or structure, constructed by the Government which is used or has been used by the public or for the public benefit, whether on payment of charges or otherwise by the State

Government, which exists on any land of any individual, company, society, partnership firm, trust etc.

3. Prohibition of disturbing or changing public utility.—(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law, instrument, custom, usage, judgement, decree or order of any Court or other authority, no person including individual, company, society, partnership firm, trust etc., shall distrub, change or demolish any public utility over any land of any private person, individual, company, society, partnership firm, trust, etc. to the detriment of the public interest or use, which are or were in public use or in existence for the benefit of public, nor any such person shall be entitled for compensation of land used for public utility or claim such public utility to the exclusion of the rights and benefits of the public.

(2) If any person disturbs, changes, demolishes or obstructs any public utility, the Collector either *suo moto* or on receiving information on such interference in the public utility may direct the restoration of such public utility to its original condition after providing an opportunity of being heard and may recover the cost incurred in respect of such restoration as arrears of land revenue from such person.

(3) Any person aggrieved by the order passed by the Collector under sub-section (2), may file an appeal before the Commissioner within thirty days of the date of the order.

(4) Any person aggrieved by an order of the Commissioner under sub-section (3), may file a revision petition before the Financial Commissioner within thirty days from the date of the order.

(5) The order of the Financial Commissioner shall be final.

4. Punishment for disturbing or changing public utility.—Whoever violates the provisions of section 3, shall be liable for punishment with the imprisonment for a term upto six months or with a fine which shall not be less than two thousand rupees and more than ten thousand rupees or both.

5. No claim for damages or compensation.—No person shall be entitled to claim any damages or compensation in lieu of prohibition or restrictions contained in this Act.

6. Preparation of record of rights.—The Collector shall cause to enter or prepare record in the manner as may be prescribed of such public utility and public rights by giving a note to this effect in the record of rights in appropriate column.

7. Bar of jurisdiction.—No Civil Court shall have the jurisdiction to entertain any suit relating to matters falling under this Act or the rules made thereunder.

8. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

9. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.

10. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of not less then ten days which may be comprised in one session or in two more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule, or decided that the rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be, without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Public utilities such as roads, paths, canals, drains, embankments, irrigation channels, public health works, public institutions and buildings have, in many instances, been established on lands originally owned by private individuals or entities. Such use was often permitted through oral agreements, oral gifts or long acquiescence, and substantial public funds have since been invested in their maintenance and development. By reason of long usage and conduct of the owners, these lands have acquired the character of public utility lands, thereby creating rights and interests in favour of the public. With the escalation of land values, however, attempts are being made by certain individuals or entities to reclaim such lands or assert exclusive rights over them, resulting in disruption of essential services and loss of public resources. In many cases, the origin of such utilities cannot be traced, as some of them pre-date the Punjab Reorganisation Act, 1966. This has led to serious administrative and financial difficulties for the Government, including disruption of road connectivity, water supply and other essential public services. It has thus become expedient in the larger public interest, to enact a law to safeguard such lands as public utility lands and to ensure continuity of essential public services.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
THE……2025.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 10 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH PROHIBITION OF CHANGE OF PUBLIC UTILITIES BILL, 2025

A

BILL

to prohibit disturbing or changing of public utilities and claiming such land to the exclusion of public rights and use in the State of Himachal Pradesh and for matter connected therewith or incidental thereto.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:

THE....., 2025

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री दलजीत सिंह सुपुत्र श्री सर्वदयाल, निवासी गांव लोहर द्रमण, डाकघर बकलोह, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम दलजीत सिंह है, जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलामा में गलती से दलजीत कुमार दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16–09–2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 11–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बन्दना देवी पुत्री श्री हेम राज, निवासी गांव ककीरा, डाकघर ककीरा, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र, मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके दादा का नाम लभू राम है, जोकि आधार कार्ड, जमाबन्दी मुहाल भटोली, बैंक पास बुक व ग्राम पांचयत ककीरा जरेई के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल ककीरा जरेई में गलती से वीरु राम दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के दादा के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 20–09–2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————

In the Court of Sh. Anil Kumar Bhardwaj, Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H.P.)**

In the Matter of :

1. Gurpeet Singh s/o Shri Amrit Singh, r/o House No. 88, Sadar Bazar Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba, H. P., age 37 years.

2. Mrs. Manisha Sharma d/o Sh. Balbir Kumar, r/o A 90A, Vijay Park Naya Bazar Najafgarh, South West Delhi Age 33 years . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Gurpeet Singh and Mrs. Manisha Sharma have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 17-04-2016 and they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 11th September, 2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Sd/-

Seal. (ANIL KUMAR BHARDWAJ),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Dalhousie, District Chamba (H. P.).

In the Court of Sh. Anil Kumar Bhardwaj, Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H.P.)**

In the Matter of :

1. Arun Mahajan s/o Shri Parmod Mahajan, r/o Jandial Niwas, Village Kholpukhar, Tehsil Dalhousie, District Chamba, H. P., age 37 years.

2. Arti Bakshi d/o Shri Ajay Bakshi, r/o Mohalla Lower Mugla, Tehsil & District Chamba (H.P.), age 35 years . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Arun Mahajan and Arti Bakshi have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 13-10-2019 and they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 11th September, 2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Sd/-

Seal. (ANIL KUMAR BHARDWAJ),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Dalhousie, District Chamba (H. P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 12 / NT/C/2025 तारीख दायरा : 06–08–2025 तारीख पेशी : 06–09–2025

रजनी देवी उपनाम राज कुमारी विधवा सुरेन्द्र सिंह, वासी महाल भोली कस्वा, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल भोली कस्वा में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री का नाम राजस्व अभिलेख भोली कस्वा में कुमारी दिव्या पुत्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र मुखत्यार सिंह वासी महाल भोली दर्ज है जबकि आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टरग्राम पंचायत कस्वा कोटला में दिव्या ठाकुर पुत्री सुरेन्द्र कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम है। प्रार्थिया राजस्व अभिलेख महाल कस्वा, भोली में अपनी पुत्री का नाम कुमारी दिव्या उपनाम दिव्या ठाकुर पुत्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र मुखत्यार सिंह के नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार / नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 06–09–2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। उजर / एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06–08–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 06/T/C/2025 तारीख दायरा : 20–08–2025 तारीख पेशी : 22–09–2025

सतीश पुत्र मान चन्द पुत्र हाकम, वासी महाल काहरू, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
.. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रत्यार्थीगण।

विषय.––प्रार्थना–पत्र राजस्व अभिलेख महाल काहरू में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल काहरू में काका पुत्र मान चन्द पुत्र हाकम दर्ज है जबकि आधार कार्ड, पैन कार्ड में सतीश पुत्र मान चन्द दर्ज है, जोकि मेरा सही नाम है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल काहरू में काका पुत्र मान चन्द पुत्र हाकम के स्थान पर सतीश पुत्र मान चन्द पुत्र हाकम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार/नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे एतराज हो तो वह दिनांक 22–09–2025 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उजर/एतराज प्रस्तुत न करने की सूरत में उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21–08–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 20–09–2025

पुष्पा देवी पुत्री हिमाल चन्द, निवासी गांव व डा0 दंरग, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
.. प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया पुष्पा देवी पुत्री हिमाल चन्द, निवासी गांव व डा0 दंरग, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म गांव व डा0 दंरग में दिनांक 01–07–1973 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत दंरग के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः मेरे जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंचीकरण ग्राम पंचायत दंरग के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया पुष्पा देवी पुत्री हिमाल चन्द के जन्म दिनांक 01–07–1973 के आदेश ग्राम पंचायत दंरग के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28–07–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 20–09–2025

संदला देवी पुत्री दया राम, निवासी गांव व डा0 परौर, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
.. प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया संदला देवी पुत्री दया राम, निवासी गांव व डा0 परौर, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म गांव व डा0 परौर में दिनांक 20–07–1980 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत परौर के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः मेरे जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत परौर के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया संदला देवी पुत्री दया राम के जन्म दिनांक 20–07–1980 के आदेश ग्राम पंचायत परौर के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 12–08–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 25–09–2025

विपन कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव व डा0 निचला मैंझा, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

.. प्रार्थी ।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थी विपन कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव व डा0 निचला मैंझा, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि मेरा जन्म गांव व डा0 निचला मैंझा में दिनांक 15–03–1978 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत मैंझा के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः मेरे जन्म पंजीकरण करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत मैंझा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25–09–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी विपन कुमार पुत्र किशोरी लाल के जन्म दिनांक 15–03–1978 के आदेश ग्राम पंचायत मैंझा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 28–08–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 45/C/T/2025 तारीख पेशी : 20–09–2025

श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 श्री किरपा राम, निवासी महाल जखलाहड, डा0 सुदरलाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.–नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 श्री किरपा राम, निवासी महाल जखलाहड, डा0 सुदरलाहड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त महादेव के राजस्व महाल डडूरू, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी के पिता का नाम किरलू दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज में उसके पिता का नाम किरपा राम दर्ज है, जोकि उसके पिता का सही नाम हैं। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम किरपा राम उपनाम किरलू पुत्र गोविन्द दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता किरपा राम पुत्र गोविन्द, निवासी महाल जखलाहड, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त महादेव के राजस्व महाल डडूरू के राजस्व अभिलेख में किरपा राम उपनाम किरलू पुत्र गोविन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : /C/T/2025 तारीख पेशी : 20–09–2025

श्री कुलतार सिंह पुत्र स्व0 श्री तुलसी राम, निवासी महाल कोरली, डा0 वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.–नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री कुलतार सिंह पुत्र स्व0 श्री तुलसी राम, निवासी महाल कोरली, डा0 वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त वारकलां के राजस्व महाल कोरली व वारखूर्द तथा पटवार वृत्त बडोगलाहड के महाल विसीं, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी की माता का नाम अमरो देवी दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में उसकी माता का नाम अमरी देवी दर्ज है, जोकि उसकी माता का सही नाम हैं। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसकी माता का नाम अमरी देवी उपनाम अमरो देवी पत्नी तुलसी राम दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी की माता श्रीमती अमरी देवी पत्नी तुलसी राम, निवासी महाल वारकलां, मौजा महादेव, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त वारकलां के राजस्व महाल कोरली व वारकलां तथा पटवार वृत्त बडोगलाहड के महाल विसीं के राजस्व अभिलेख में अमरी देवी उपनाम अमरो देवी पत्नी तुलसी राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 46/C/NT/2025 तारीख पेशी : 20–09–2025

सुरिन्द्र कुमार पुत्र जैसी राम, निवासी महाल कोहलड़ी, डा0 टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.–नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी सुरिन्द्र कुमार पुत्र जैसी राम, निवासी महाल कोहलड़ी, डा0 टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिहरी के राजस्व महाल कोहलड़ी, डा0 टिहरी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थी का नाम संजीव कुमार दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, विद्यालय त्याग के प्रमाण–पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम सुरिन्द्र कुमार दर्ज है, जोकि उसका सही नाम हैं दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुरिन्द्र कुमार उपनाम संजीव कुमार दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2025 को

असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी सुरिन्द्र कुमार पुत्र जैसी राम, निवासी महाल कोहलड़ी, डा0 टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिहरी के राजस्व महाल कोहलड़ी के राजस्व अभिलेख में सुरिन्द्र कुमार उपनाम संजीव कुमार दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 47/C/NT/2025 तारीख पेशी : 20–09–2025

श्रुति देवी पुत्री लाल चन्द, निवासी महाल टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.–नाम दुरुस्ती।

प्रार्थिया श्रुति देवी पुत्री लाल चन्द, निवासी महाल टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से प्रार्थिया का नाम श्रीमती सुती देवी दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, विद्यालय त्याग के प्रमाण–पत्र व परिवार रजिस्टर नकल में उसका नाम श्रुति देवी दर्ज है, जोकि उसका सही नाम हैं। दो अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थिया को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थिया का आग्रह है कि उपरोक्त वर्णित महाल के राजस्व अभिलेख में उसका नाम श्रुति देवी उपनाम श्रीमती सुती देवी दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20–09–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया श्रुति देवी पुत्री लाल चन्द, निवासी महाल टिप उपरला, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व पटवार वृत्त टिप के राजस्व महाल टिप उपरला के राजस्व अभिलेख में श्रुति देवी उपनाम श्रीमती सुती देवी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

In the Court of Assistant Collector-cum-**Naib Tehsildar, Bharoli, Distt. Kangra (H.P.)**

In th matter of :

Ramesh Chand s/o Faundri Ram s/o Rauda, r/o Village Katoi, Mouza Choukath, Sub-Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Application of correction of Name under Section 37(2) of Land Revenue Act, 1954.

Whereas, Ramesh Chand s/o Faundri Ram s/o Rauda, r/o Village Katoi, Mouza Choukath, Sub-Tehsil Bharoli, Distt. Kangra (H.P.) has submitted an application under section 37(2) of the Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as Ration Card, Parivar Nakal Jamabandi Parcha and Marksheet of 12th class in the court of undersigned.

Wherein he stated that, he belongs to above mentioned address. His name is written as Sonu and also his father's name is written as Kaundri Ram in the land/revenue of Mohal Kopra, Mouza Choukath which is wrong. His original/correct name is Ramesh Chand and his father's original/correct name is Faundri Ram. Therefore, he request to correct his name as Ramesh Chand instead of Sonu and also correct his father name as Faundri Ram instead of Kaundri Ram in the revenue record of Mohal Katoi, Mouza Choukath, Sub-tehsil Bharoli, as per supportive documents enclosed by him with the application file.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant and his father mentioned above, may submit his/her objection in writing to this court before 24-09-2025. No objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 08-08-2025.

Seal. Sd/-
Assistant Collector-cum-Naib Tehsildar,
Bharoli, Distt. Kangra (H.P.).

In the court of Naib Tehsildar-cum-**Executive Magistrate, Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.)**

Case Titled : Registration of Death Date of Institution : 13-08-2025

Sh. Parveen Kumar s/o Chaudhary Ram, r/o Village Bhatoli Chabdeyan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.).

Versus

General Public

Notice to the General Public

Whereas, Sh. Parveen Kumar s/o Chaudhary Ram, r/o Village Bhatoli Chabdeyan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.) has filed an application before the undersigned that date of death of his mothers is 01-04-1984 but due to ignorance and lack of knowledge it has not been entered in the concerned Gram Panchayat Register. He has further stated that he wants to get it registered in Gram Panchayat Minta, Sub-Tehsil Raja Ka Talab.

The applicant has attached non-availability certificate, recommendation of Additional Distt. Registrar (Birth & Death)-*cum*-Medical Officer of Health, Kangra at Dharamshala, affidavit of two witnesses namely Sh. Uttam Chand s/o Sh. Jasi Ram/ r/o Village Bhatoli, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.) & Sh. Joginder Pal s/o Munshi Ram, r/o Village Bhatoli Chabdeyan, Sub-Tehsil Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.) have been attached in support of his claim.

Now, therefore, in pursuance of section 13(3) of the Registration of Birth & Death Act, 1969 a proclamation to all general public concerned is hereby issued that objections in this regard *i.e.* to enter the date of death of Smt. Urmila Devi wd/o Chaudhary Ram shall be heard by the undersigned on 21-09-2025 in his court at Raja Ka Talab. Anyone having any objections in the matter may do so on the said date and place in person or through legal practitioner or his/her recognised agent. In case non-appearence, the proceedings will continue *ex-parte* and necessary action in this matter will be taken accordingly as per law.

Given under my hand and seal of the court 21-08-2025.

Seal. Sd/-

Naib Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Raja Ka Talab, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Vinod Kumar s/o Sh. Budhiya Ram, r/o Village Ganog, P.O. Barag, Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.) declare that my actual name is Vinod Kumar as per my birth certificate, but in Aadhar Card No. 5196 6346 0808 my name is wrongly entered as Dinesh Kumar which is required to be corrected. All concerned please may note.

Vinod Kumar
s/o Sh. Budhiya Ram,
r/o Village Ganog, P.O. Barag,
Tehsil Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Taj Bibi w/o Sh. Jakeer Hussain, r/o Village Tarshanu, P.O. & Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.), Pin-171 210 declare that I have changed my name from Noor Bano (Old Name) to Taj Bibi (New Name). All concerned please may note.

TAJ BIBI
w/o Sh. Jakeer Hussain,
r/o Village Tarshanu,
P.O. & Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Subhash Shyam s/o Sh. Jialal, Latiana, Latiana (183), Shimla (H.P.) Pin-171213 declare that the name of my son is Master Manas Shyam (Old Name) now I have changed the name of my son from Master Manas Shyam (Old Name) to Manas Shyam (New Name). All concerned please may note.

SUBHASH SHYAM
s/o Sh. Jialal, Latiana,
Latiana (183), Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Saduru w/o Sh. Shayam Singh Kanwar, Village Narel, Laphu (240), Lafughati, Theog, Shimla (H.P.), Pin-171 222 declare that I have changed my name from Vidaya Devi (Previous Name) to Saduru (New Name). All concerned please may note.

SADURU
w/o Sh. Shayam Singh Kanwar,
Village Narel, Laphu (240),
Lafughati, Theog, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Uttamu Devi w/o Sh. Devi Ram, Village Didi (283), Tehsil Theog, District Shimla (H.P.), Pin-171 201 declare that I have changed my name from Sempi (Previous Name) to Uttamu Devi (New Name). All concerned please may note.

UTTAMU DEVI
w/o Sh. Devi Ram,
Village Didi (283),
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanjeev Kumar s/o Sh. Vijay Singh, r/o Village Sulpur, P.O. Bhambla, Tehsil Baldwara, District Mandi (H.P.), Pin-175004 do hereby solemnly declare that I have changed my son's name from Sharvil Chandel to Rudransh Chandel, therefore he shall be know as Rudransh Chandel instead of Sharvil Chandel. All concerned please may note.

SANJEEV KUMAR
s/o Sh. Vijay Singh,
r/o Village Sulpur, P.O. Bhambla,
Tehsil Baldwara, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Piari Devi w/o Late Sh. Mast Ram, r/o Village Surah, P.O. Lag Devi, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Pyaro Devi to Piari Devi for all purposes in future. Please note.

PIARI DEVI
w/o Late Sh. Mast Ram,
r/o Village Surah, P.O. Lag Devi,
Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Sharma s/o Sh. Garib Dass Sharma, r/o Village Kheri, P.O. Bahina, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Inaaya Sharma to Elyana Sharma for all purposes in future. Please note.

SANJAY SHARMA
s/o Sh. Garib Dass Sharma,
r/o Village Kheri, P.O. Bahina,
Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shruti Prakash s/o Sh. Mohan Singh, r/o Village Balhra, P.O. Balh Kuwar, Tehsil Ladbharol, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Shuti Prakash to Shruti Prakash for all purposes in future. Please note.

SHRUTI PRAKASH
s/o Sh.Mohan Singh,
r/o Village Balhra, P.O. Balh Kuwar,
Tehsil Ladbharol, District Mandi (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।